भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1368

(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

एसएफ़आईओ द्वारा कंपनियों की जांच

1368. डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफ़आईओ) द्वारा चीनी निवेश से जुड़ी 33 कंपनियों की चल रही जांच की स्थिति क्या है और इसमें अब तक किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं;
(ख) इन कंपनियों द्वारा संदिग्ध शेल ऑपरेशन, धनराशि के दुरुपयोग, कंपनी अधिनियम के उल्लंघन या विदेशी निवेश के गलत उपयोग, यदि कोई है; से संबंधित विशिष्ट निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) भारत में संचालित विदेशी-संबद्ध संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के संबंध में प्रवर्तन या खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट/मूल्यांकन क्या है;
(घ) उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए अनुपालन निगरानी, वित्तीय जाँच और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं; और
(ङ) इन 33 कंपनियों की एसएफ़आईओ जांच पूर्ण होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और जांच के परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा प्रस्तावित आगे की नियामक/कानूनी कार्रवाइयाँ क्या हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत जांच पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए कंपनियों को रजिस्ट्री से हटाने, आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा फ़ाइल करने सहित उचित प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। ये मामले न्यायाधीन हैं।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कंपनियों के प्रबंधन में वित्तीय जवाबदेही और पारदशता सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। इन प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीकृत कार्यालयों में लेखा-बही खातों और सांविधिक रजिस्टरों का रख-रखाव, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना और उचित अनुमोदन के बाद उन्हें रजिस्ट्रार के पास फ़ाइल करना अपेक्षित है। प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं:

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति के माध्यम से कंपनियों के प्रबंधन के लिए जवाबदेही, लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की अपेक्षा;

(ii) एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की आवश्यकता;

(iii) शेयरधारकों द्वारा सूचना और अनुमोदन के लिए शेयरधारकों को समय-समय पर प्रकटीकरण (नोटिस, संकल्प, डाक मतपत्र, आदि के रूप में) करने की आवश्यकता।

(iv) जोखिम प्रबंधन, कंपनी के मामलों की स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वास्तविक परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटरों के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट के माध्यम से पर्याप्त प्रकटन करने की आवश्यकता।

(v) समय-समय पर रजिस्ट्रार के पास विभिन्न दस्तावेजों, प्रस्तावों की प्रतियां, वित्तीय विवरण, विवरणी आदि फ़ाइल करने की आवश्यकताएं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) - (ग) के उत्तर के अनुसार।

*****